HANS

PAGE 1 OF 2	अभियोजन साक्षी संख्याः 03

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-06 जनपद – कानपुर देहात।		
सत्र परीक्षण संख्या- 146/2019		
राज्य	**बनाम**	छटंकी उर्फ श्याम किशोर आदि

नाम साक्षीः डॉ० आर०एन० सिंह पुत्र स्व० श्री एम०एल० धनगर	अपराध संख्या-202/2007
उम्रः लगभग 59 वर्ष, पेशाः चिकित्सक	धारा- 147, 148, 364, 302, 201 भादवि
वर्तमान तैनाती पता साक्षीः अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद-कानपुर नगर	थाना-मंगलपुर, कानपुर देहात।

दिनांकः-08.01.2025

मैं **साक्षीः डॉ० आर०एन० सिंह पुत्र स्व० श्री एम०एल० धनगर, उम्रः लगभग 59 वर्ष, पेशाः चिकित्सक, वर्तमान तैनाती पता साक्षीः अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद-कानपुर नगर** शपथपूर्वक यह बयान करता हूँ कि.....

1. दिनांक 18.05.2007 को मेरी ड्यूटी पोस्टमार्टम हाउस अकबरपुर कानपुर देहात में थी। उसी दिन एक नाम-पता अज्ञात व्यक्ति के शव को जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष थी, के शव को आरक्षी 295 रामबहादुर व आरक्षी 812 प्रदीप कुमार पोस्टमार्टम हेतु मेरे पास लेकर आये थे। पोस्टमार्टम की कार्यवाही मेरे द्वारा 01.15 PM पर शुरु की गयी थी।

2. मृतक के शव की लम्बाई 5 फुट 11 से०मी० थी। शव औसत कदकाठी का था। मृत्यु के बाद की अकड़न शरीर के ऊपरी व निचले हिस्से में मौजूद थी। पूरे शरीर की चमड़ी उखड़ रही थी। सिर के बाल खींचने पर उखड़ रहे थे। दाड़ी व मूंछ भी खींचने पर उखड़ रहे थे। पी०एम० स्टेनिंग शरीर के पिछले हिस्से पर दोनों जाँघों व नितंबों में मौजूद थी। पैरों के तलबे 22 से०मी० लम्बे थे। जीभ बाहर निकली हुई थी। दायीं आँख बाहर निकली हुई थी। बायीं आँख बंद थी और कुचली हुई थी।

4. **मृत्यु पूर्व चोटेंः- ANTE-MORTEM INJURY**

(1) बायीं आँख के ऊपर 5X2 CM फटा हुआ घाव हड्डी की गहराई तक जा रहा था।

(2) बायीं आँख की भौंह के ऊपर एक फटा हुआ घाव था जो कि 2X1 CM का था। बायीं आँख की भौंह के एक से०मी० के ऊपर मौजूद था।

(3) बायीं पैराइटल बोन पर फ्रैक्चरा था तथा उसमें रक्त के थक्के जमे हुए थे।

5. **<u>आन्तरिक परीक्षणः-</u>**

दाँत 16/16 मौजूद थे। दोनों फेफड़े पेल थे। ह्रदय के दोनों तरफ के चैम्बर खाली थे। छोटी आँत आंशिक गैस से भरी हुई थी। बड़ी आँत मल व गैस से भरी हुई थी। यकृत पेल था। दोनों वृक्क पेल थीं। मूत्राशय खाली थी। तिल्ली पेल थी। पित्ताशय आधा भरा हुआ था।

6. **<u>अभिमतः-</u>**

मृतक की मृत्यु पोस्टमार्टम किये जाने से लगभग दो दिन के आसपास की थी। मृतक की मृत्यु का कारण SHOCK AND HAEMORRAGE था जो कि मृत्यु पूर्व आयीं चोटों के कारण हुआ था। सारी चोटें मृत्यु के लिए पर्याप्त थीं। सारी चोटें HARD AND BLUNT OBJECT से आना संभव थीं।

7. मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गयी थी। जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जिस पर **<u>प्रदर्श क-2</u>** अंकित किया गया।

8. मृतक के पोस्टमार्ट के पश्चात मृतक का शव, इन्क्वेस्ट पेपर, मूल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आरक्षी रामबहादुर व प्रदीप कुमार को देकर मूल पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उनके हस्ताक्षर बनवाये थे। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

प्रतिपरीक्षा द्वारा अभियुक्तगण

9. मैं मेडिकल की मोदी ज्यूरिसप्रूडेन्स को मानता हूँ। मोदी की ज्यूरिसप्रूडेन्स के अनुसार, मृत्यु में छह घंटे का समय (प्लस व माइनस में) की संभावना रहती है। तेज गति से वाहन चलाते समय वाहन अगर फिसल जाये और वाहनचालक यदि किसी वाहन से टकरा जाये या तेजी से अधिक बल के साथ रोड़ पर गिर जाये तो ऐसी चोटें के आने की संभावना रहती है। दोनों चोटें LACERATED (फटी हुई) हैं।

मेरे बोलने पर आज यह बयान
रीडर द्वारा टंकित किया गया। सुनकर तस्दीक किया।